अनुसूची

पीड़ित को क्षति/हानि पर प्रतिकर राशि

नोट :– पीड़ित पक्षकार की समग्र से वार्षिक आय 5.00 लाख रूपए से अधिक होने पर प्रतिकर राशि 50 प्रतिशत देय होगी।

स.क्र.	हानि या क्षति का विवरण	प्रतिकर की अधिकतम सीमा	
01	(क) जीवन की हानि (मृत्यु)	क. आय अर्जित करने वाले की मृत्यु की दषा में	अधिकतम रूपए 4.00 लाख तक
		ख. आय अर्जित न करने वाले की मृत्यु की दषा में	अधिकतम रूपए 2.00 लाख तक
	(ख) भूण की हानि या क्षति		रूपए 50 हजार तथा षासकीय चिकित्सालय में निःषुल्क इलाज
02	षरीर में 100 प्रतिषत स्थायी निःषक्तता होने पर।	क. जहां पीड़ित आय अर्जित करता हो।	अधिकतम रूपए 3.00 लाख तक (षासकीय चिकित्सालय में निःषुल्क इलाज)
		ख. जहां पीडित कोई आय अर्जित न करता हो।	अधिकतम रूपए 1.50 लाख तक (षासकीय चिकित्सालय में निःषुल्क इलाज
03	षरीर में स्थायी निःषक्तता 40 प्रतिषत से अधिक होने पर।	क. जहां पीड़ित आय अर्जित करता हो।	अधिकतम रूपए 2.00 लाख तक (षासकीय चिकित्सालय में निःषुल्क इलाज)
		ख. जहां पीडित कोई आय अर्जित न करता हो।	अधिकतम रूपए 1.00 लाख तक (षासकीय चिकित्सालय में निःषुल्क इलाज)
04	(क) महिला की प्रजनन क्षमता की स्थायी क्षति (बलात्कार को छोड़कर अन्य आपराधिक घटना में)		अधिकतम रूपए 1.50 लाख तक (षासकीय चिकित्सालय में निःषुल्क इलाज)
	(ख) षरीर के महत्वपूर्ण भाग पर गंभीर चोट अथवा षल्य क्रिया	क. जहां पीड़ित आय अर्जित करता हो।	अधिकतम रूपए 50 हजार तक (षासकीय चिकित्सालय में निःषुल्क इलाज)
		ख. जहां पीडित कोई आय अर्जित न करता हो।	अधिकतम रूपए 25 हजार तक (षासकीय चिकित्सालय में निःषुल्क इलाज)
05	(क) सामूहिक बलात्कार		अधिकतम रूपए 3.00 लाख तथा षासकीय चिकित्सालय में निःषुल्क इलाज
	(ख) अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध		अधिकतम रूपए 2.00 लाख तथा षासकीय चिकित्सालय में निःषुल्क इलाज
06	(क) एसिड अटैक से कुरूपता 40 प्रतिषत से अधिक होने पर		अधिकतम रूपए 3.00 लाख तक जिसमें से 1.00 लाख रूए सूचना दिनांक के 15 दिवस के अंदर एवं शेष राषि 2.00 लाख रूपए दो माह के अंदर तथा शासकीय चिकित्सालय में निःषुल्क इलाज ।
	(ख) एसिड अटैक से कुरूपता 40 प्रतिषत से कम होने पर		अधिकतम रूपए 1.50 लाख तक जिसमें से 50 हजार रूए सूचना दिनांक के 15 दिवस के अंदर एवं षेष राषि दो माह के अंदर तथा षासकीय चिकित्सालय में निःषुल्क इलाज।

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें

1. उच्च न्यायालय स्तर पर – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उप समिति जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर के सचिव अथवा वहाँ के जिला विधिक सहायता अधिकारी से।
2. जिला स्तर पर – जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से।
3. तहसील स्तर पर – दीवानी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति से।
4. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से।

JUSTICE

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

सी–2, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर द्वारा विज्ञापित

म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

सी–2, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)

दूरभाष: (0761) 2678352, 2624131, फैक्स: 2678537

वेबसाइट: www.mpslsa.nic.in ईमेल: mplsajab@nic.in Toll Free-15100

मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015

यह योजना अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति कारित हुयी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, उनके प्रतिकर के लिए निधियाँ एवं प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करने के लिये बनाई गयी है।

कौन प्रतिकर प्राप्त कर सकता है:– पीड़ित अथवा उसका आश्रित इस योजना के अधीन प्रतिकर प्राप्त कर सकता है।

इस योजना में पीड़ित वह व्यक्ति है –

जिसे अभियुक्त के आपराधिक कृत्य या लोप से कोई हानि/क्षति कारित हुई हो। इसमें पीड़ित व्यक्ति का संरक्षक या विधिक वारिस भी सम्मिलित है।

जैसे– पीड़ित की पत्नी, पति, पिता, माता, अविवाहित पुत्री, अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आश्रित प्रमाण पत्र प्राप्त हों।

किन मामलों में प्रतिकर प्राप्त हो सकता है ?

1. द.प्र.सं. की धारा 357–क की उपधारा (2) अथवा (3) के अधीन न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिकर की राशि का निर्धारण करेगा।

2. जहां कि विचारण न्यायालय, विचारण की समाप्ति पर कोई सिफारिश करता है, जबकि इस बात का समाधान हो जाता है कि संहिता की धारा 357 के अधीन प्रदान किया गया प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है अथवा जहां कि मामले में दोषमुक्ति या उन्मोचन हो जाता है और पीड़ित का पुनर्वास किया जाता है, **अथवा**

3. जहां कि अपराधी को खोजा या पहचाना नहीं गया है परन्तु पीड़ित की पहचान की गई है और जहां कोई विचारण नहीं होता है अथवा विचारण न्यायालय द्वारा पीड़ित को प्रतिकर अदायगी के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया हो और वहां पीड़ित या उसका आश्रित जिला प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है।

4. वह अपराध, जिसके कारण योजना के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाता है, वह राज्य के भीतर घटित हुआ हो, या राज्य के भीतर घटना की शुरूआत हुई हो, या राज्य के बाहर अपराध घटित हुआ हो किंतु पीड़ित राज्य के अंदर पाया गया हो।

प्रतिकर प्रदान करने की प्रक्रिया:–

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (क)(4) के अधीन आवेदन पर, न्यायालय की सिफारिश प्राप्त होने पर जिला प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण दो माह के भीतर जांच पूर्ण करके पर्याप्त प्रतिकर प्रदान करेगा।

जिला प्राधिकरण सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र पर तत्काल प्राथमिक उपचार सुविधा या चिकित्सा लाभों को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु या अंतरिम अनुतोष का आदेश दे सकेगा।

जिला प्राधिकरण, अनुशंसा प्राप्ति के साठ दिवस के भीतर संहिता की धारा 357–क की उपधारा (2) तथा (3) के अधीन प्रतिकर की मात्रा विनिश्चित करेगा।

प्रतिकर की राशि जिला प्राधिकरण द्वारा योजना से संलग्न अनुसूची में दिए गए मानक मापदण्डों के आधार पर विनिश्चित की जाएगी।

बलात्संग वाइडर की पीड़ित को प्रतिकर के मामले में, संबंधित जिले के परिवीक्षा अधिकारी को प्रभावी पुनर्वास तथा सतत् मूल्यांकन के लिए सूचित किया जायेगा।

योजना के अधीन विनिश्चित प्रतिकर की रकम पीड़ित प्रतिकर निधि से पीड़ित या उसके आश्रित को संवितरित की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु/ सूचनाएं:–

मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन आने वाले मामले, जिनमें मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण द्वारा अनुतोष पारित किया जाता है, इस योजना को सम्मिलित नहीं होंगे।

पीड़ित पक्षकार की समग्र स्त्रोतों से वार्षिक आय 5.00 लाख रूपये से अधिक होने पर प्रतिकर अनुसूची एक में दी गई समस्त शीर्षों में प्रतिकर राशि 50 प्रतिशत देय होगी।

प्रतिकर का संवितरण बैंक खाते से जुड़े आधार के माध्यम से किया जाएगा।

अम्ल हमले के मामले में, ऐसे पीड़ित को ऐसी घटना होने के 15 दिवस के भीतर रूपये 1 लाख (एक लाख) प्रदान किया जाएगा।

जिला प्राधिकरण में प्रतिकर की राशि को नामंजूर करने, रोकने एवं कम करने की षक्ति विहित है।

प्रार्थी द्वारा आश्रित होने का प्रमाण पत्र संबंधित तहसीलदार या सक्षम प्राधिकारी आवेदन पत्र जमा करने के 15 दिवस के भीतर जारी करेगा।

पीड़ित अथवा आश्रित द्वारा धारा 357 ए के अधीन किया गया कोई भी दावा अपराध घटित होने के 180 दिवस की अवधि के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा। परन्तु जिला प्राधिकरण लिखित कारणों के समाधान होने पर उक्त देरी को माफ कर सकेगा।

प्रतिकर आदेश के विरूद्ध अपील :–

कोई पीड़ित/आश्रित जिला प्राधिकरण के आदेश के 90 दिवस के भीतर राज्य प्राधिकरण के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा।

राज्य प्राधिकरण के विनिश्चिय के विरूद्ध आदेश के दिनांक से 30 दिवस की अवधि के भीतर द्वितीय अपील, सरकार के गृह विभाग को कर सकेगा और द्वितीय अपील प्राधिकारी का विनिश्चिय अंतिम होगा :

परन्तु यदि राज्य प्राधिकरण/ सरकार का समाधान हो गया है तो वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से अपील फाइल करने में हुए विलंब के लिए माफी दे सकेगी।